मु.नं. 25/20 हनुमानसहाय / गणेश व अन्य

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/4/21	व.क्र. उप०। पत्रावली कार्य से अवलोकन। आदेशार्थ दिनांक 26/4/21 को पेश हो।	
	26/4/21	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस / कार्य [illegible] रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 31/5/21 को पेश हो।	
	31/5/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर कोरोना दौरे / ~~अवकाश~~ पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 02/7/21 को पेश हो।	
	02/7/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर कोरोना दौरे / ~~अवकाश~~ पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06/8/21 को पेश हो।	
	06/8/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16/8/21 को पेश हो।	
	16.8.21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/9/21 को पेश हो।	
	20/9/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30/9/21 को पेश हो।	
	30/9/21	[illegible]इडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश [illegible] अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु [illegible] 16/12/21 [illegible] हो।	
	16/12/21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम गोविन्दगढ़ में पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उप० नहीं हैं। वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शा० भि० किया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:49:43 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

हनुमानसहाय बनाम गणेश व अन्य

नाम न्यायालय–

केस सं०– 25/2020

प्रा०पत्र O39 R4 CPC

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रुप से	वि०वि०
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:49:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर
प्रशासन गांवों के संग– कैम्प कोर्ट गोविन्दगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री हर्षित वर्मा (R.A.S.)

मु0 संख्या :–25/2020

उनवान

1. हनुमान सहाय पुत्र रामचन्द, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।

बनाम

1. गणेश पुत्र रामचन्द, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।
2. सुरजमल पुत्र रामचन्द्र, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151

सी0पी0सी0

आदेश

दिनांक:–16.12.2021

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का इस आशय का पेश किया गया है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष उनवानी गणेश बनाम हुनमानसहाय वगै0 का वाद व प्रार्थना पत्र सं0 56/19 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 11.12.2019 को वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया था, जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 11.12.2019 को उभय पक्षकारान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था कि वह विवादित भूमि खसरा नं0 766, 767, 769, 770/1, 778, 779, 780, 823 कुल किता 9 का कुल रकबा 2.07 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जो आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है। उपरोक्त विवादित भूमि में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का भी हिस्सा 1/2 भाग निहित है तथा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य अर्से दराज पूर्व से ही तकासमा हो चुका था तथा अप्रार्थी/वादी ने मिन प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 को मुगालते में रखते हुए न्यायालय श्रीमान के समक्ष मौका [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि वास्तविकता में उक्त भूमि में खस[illegible] 768 की भूमि अप्रार्थी सं0 2 सुरजमल के कब्जेकाश्त [illegible] खसरा नं0 768 की पश्चिमी सीमा की तरफ अलग से [illegible] तथा उससे सिंचाई करता आ रहा है, साथ ही अप्रार्थी सं0 1 के हक में मुनबट के आधार पर हुए बंटवारे के अनुसार खसरा नं0 770/1, 778 की भूमियां [illegible] हैं, खसरा नं0 778 में स्वयं के खर्चे पर अलग से बोरिंग एवं पुख्ता मकानात आदि बना रखे हैं तथा प्रार्थी के हिस्से में खसरा नं0 779, 823 की भूमि आई है, जिन खसरा नम्बरान में से खसरा नं0 823 में पूर्व से पुराना बोरिंग संचालित था जिसका पानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:49:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

सूख जाने के कारण अब उक्त बोरिंग पिछले एक–डेढ़ वर्ष से बन्द ही पड़ा हुआ है, इस कारण मिन प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 को अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु तथा मवेशियों के पीने के पानी एवं स्वयं के पीने के पानी हेतु नये बोरिंग की अत्यन्त आवश्यकता है। जब प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने हिस्से में आई भूमि खसरा नं0 779, 823 की सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता होने पर नये बोरिंग हेतु ज्यों ही बोरिंग मशीन लगाई गई तो अप्रार्थी / वादी ने न्यायालय श्रीमान को मुगालते में रखते हुए मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति के स्थगन आदेश बाला–बाला प्राप्त कर लिए। मिन प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 को अपने बंटवारे के हिस्से में आई भूमि खसरा नं0 823 में अपने मवेशियों व फसल की सिंचाई हेतु तथा स्वयं के पीने के पानी हेतु काफी परेशानी का सामना करने के कारण खसरा नं0 823 में नया बोरिंग करवाना चाहता है। जिससे की कृषि भूमि में लगी फसल की सिंचाई कर सके साथ ही स्वयं व मवेशियों के पीने के पानी की व्यवस्था कर सके अन्यथा मिन प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 की फसल नष्ट हो जायेगी एवं पीने के पानी के लिए भी भटकना पड़ेगा। न्यायालय स्थगन आदेशों के कारण मिन प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 अपने हिससे की भूमि में बोरिंग नहीं कर पा रहा है जबकि अप्रार्थी व अन्य खातेदारान के द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि में अपना–अपना निजी बोरिंग किया हुआ है। मिन प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय श्रीमान द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.12.2019 में संशोधन करते हुए प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से की भूमि खसरा नं0 823 में नया बोरिंग करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अप्रार्थी सं0 1 गणेश द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा उनवानी प्रकरण गणेश बनाम हनुमानसहाय वगै0 वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा वास्तविक तथ्यों पर सही रुप से प्रस्तुत किया गया है जबकि हनुमानसहाय ने भी एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी हनुमानसहाय बनाम गणेश वगै0 वाद सं0 66 / 2019 व प्रार्थना पत्र सं0 55 / 2019 में दिनांक 11.12.2019 को वादग्रस्त भूमि मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, इस कारण अप्रार्थी सं0 1 ने भी वाद बंटवारे का प्रस्तुत कर रखा है जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी हैं। प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 के पास अलग से बोरिंग बना हुआ है तथा मौके पर बोरिंग संचालित हो रहा है जहां मवेशियों के पानी पीने का सवाल है तो स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा पानी की व्यवस्था की हुई है, वहां से पानी लिया जा सकता है तथा पुराना बोरिंग भी मौके पर संचालित हो रहा है। मनबंट के आधार पर कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है। बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा करवाने हेतु अप्रार्थी तैयार हैं तथा जब तक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भू–भाग पर प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा माना [illegible] है। इस [illegible] स्थान पर किसी पक्षकार को बोरिंग करने की अनुमति कानूनन नहीं [illegible] जा [illegible] है। जब मौके पर बंटवारा ही नहीं हो रखा है तो [illegible] सं0 1 के हिस्से में आने का प्रश्न ही उदित नहीं हो[illegible] बने हुए हैं तो नये बोरिंग की आवश्यकता ही नहीं है तथा बोरिंग हेतु इजाज[illegible]हीं दिये जाने से प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 को कोई क्षति या हानि नहीं होगी। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:49:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0नं0–25 / 2020
उनवान–हनुमान बनाम गणेश वगै0
निर्णय दिनांक–16.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट गोविन्दगढ़ में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 द्वारा विवादित आराजियात के खसरा नं0 823 में नया बोरिंग करने की अनुमति चाही गई है। चूंकि उक्त प्रकरण में पहले से ही दो प्रकरण हनुमानसहाय बनाम गणेश मु0नं0 66 / 2019 तथा गणेश बनाम हनुमानसहाय मु0नं0 67 / 2019 बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा के विचाराधीन हैं। चूंकि प्रकरण में दिनांक 22.12.2020 को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये जा चुके हैं। यदि प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 को विवादित भूमि के खसरा नं0 823 में नया बोरिंग करने की अनुमति दी जाती है तो वाद बहुलता बढ जाएगी तथा दिनांक 22.12.2020 को पारित आदेश का कोई औचित्य ही नही रह जाएगा। न्यायहित में प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 को विवादित भूमि के खसरा नं0 823 में नया बोरिंग करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट गोविन्दगढ़ में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:49:43 IST
Reason: SelfAttested